जमाबन्दी (बिक्री/वसीयत) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र सं 26 (क)
(ऑफिस नियम 153 [illegible])

ग्राम का नाम ढोलावास
पटवार हल्का ढोलावास
भू.अभि.नि. [illegible]

संवत 2073 - 2076
भूमि धारक का नाम [illegible]
जमाबन्दी की स्थिति [illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख को जारी हुए।
04.01.2021	संडूराम बनाम राज0 सरकार मु.नं. 34/20 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट वास्ते इन्द्राज दुरस्ती पत्रावली पेश हुई। वकीलप्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 एल0आर0 एक्ट इस न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राहुवास की गई। प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी संडूराम पुत्र मैंदाराम जाति मीना निवासी ढोलावास तहसील राहुवास द्वारा आराजी खसरा नम्बर 4 रकबा 2 बिस्वा खसरा नम्बर 6 रकबा 2 बिस्वा खसरा नम्बर 7 रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा खसरा नम्बर 9 रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा खसरा नम्बर 13 रकबा-10 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम ढोलावास में प्रार्थी का नाम लक्ष्मण पुत्र मैंदाराम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसके स्थान पर संडूराम पुत्र मैंदाराम शुद्ध करवाना चाहा है। हमने तहसीलदार राहुवास से जॉच रिपोर्ट ली गई जो संलग्न पत्रावली है। तहसीलदार राहुवास से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया । तहसीलदार राहुवास से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम ढोलावास के नामान्तकरण संख्या 117 में विरासत से लक्ष्मण पुत्र मैंदाराम के नाम से खोला गया है जो आदिनांक तक चला आ रहा है। तथा तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया कि प्रार्थी को बोलचाल की भाषा में लक्ष्मण कहा जाता था परन्तु उस व्यक्ति का सही नाम सण्डूराम बताया। तहसीलदार द्वारा इसके संबंध में कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया गया है। जिससे यह जाहिर होता हो कि लक्ष्मण पुत्र मैंदाराम एवं संडूराम पुत्र मैंदाराम एक ही व्यक्ति है या अलग अलग है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला सुमार होकर नम्बर से कम हो।	